<u>एलुमनाई एसोसिएशन की नियमावली</u>

संस्था के अंग:- (1) साधारण सभा (2) प्रबंधकारिणी समिति

(1) **साधारण सभा**:-

(i) **गठन**- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा ।

(ii) **बैठ**कें - सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(iii) **सूचना अवधि** - सामान्य बैठक हेतु 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(iv) - **गणपूर्ति**- बैठक हेतु 67 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(v) **विशेष / वार्षिक अधिवेशन की तिथि**- विशेष/ वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में 67% बहुमत से तय की जाएगी ।

(vi) साधारण सभा द्वारा प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव किया जाएगा| संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय- वयय का अनुमोदन करना।

(2) **प्रबंधकारिणी समिति**:-

(i) **गठन**- साधारण सभा द्वारा प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव किया जाएगा । इससे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य 7,संरक्षक होंगे।

(ii) **बैठ**कें - सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है ।

(iii) **सूचना अवधि** - सामान्य बैठक हैतू 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(iv) **गणपूर्ति** - बैठक की गणपूर्ति हेतु 67% पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी ।

(v) **रिक्त स्थानों की पूर्ति** - 67% पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति कर सकेंगी।

(vi) **कार्यकाल** - प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

प्रबंधकारिणी समिति तथा प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

क . अधिकार व कर्तव्य

1. **अध्यक्ष** - प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना संस्था की चल/ अचल संपत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आमसभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।

2. **उपाध्यक्ष** - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना ।

3. **सचिव** - कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्रवाई लिखना ,आगामी बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय -वयय संबंधी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना, ऑडिट रिपोर्ट प्रबंधकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

4. **कोषाध्यक्ष**- संस्था के कोष के रखरखाव तथा खाते का संचालन करना।

5. **सदस्य** - कार्यकारिणी सदस्य, प्रबंध समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।

6. **संरक्षक** - संस्था के कार्यों में मार्गदर्शन करना ।

7. **प्रबंधकारिणी समिति** - संस्था के सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना । संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनाएं तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति, दान -अनुदान स्वीकार करना।

College Alumni Association Committees

Mrs. Krishna Dabral - Convenor

Mr. Brijesh Chauhan - Member

Mr. Vineet Kumar - Member

Dr. Ashok Kumar Agarwal – Member

Dr. Manoj Singh Bisht- Member